*State-wise Targets for Assisting the Scheduled Tribe Families for the VIth Five Year Plan*

| S.No. | Name of the State and Union Territory | Target for assisting the families |
|---|---|---|
| 1. | Andaman & Nicobar | 73,00 |
| 2. | Andhra Pradesh | 50,000 |
| 3. | Assam | —* |
| 4. | Bihar | 3,00;000 |
| 5. | Gujarat | 3,50.000 |
| 6. | Himachal Pradesh | 21,600 |
| 7. | Karnataka | —* |
| 8. | Kerala | 16,000 |
| 9. | Madhya Pradesh | 6,18,000 |
| 10. | Maharashtra | —* |
| 11. | Manipur | —* |
| 12. | Orissa | 5,50.000 |
| 13. | Rajasthan | 50,000 |
| 14. | Sikkim | —* |
| 15. | Tamil Nadu | 15,000 |
| 16. | Tripura | —* |
| 17. | Uttar Pradesh | 3,100 |
| 18. | West Bengal | 1,08,275 |
| 19. | Goa Daman & Diu | 1,516 |
| | Approximate total target | 23 lakhs tribal families |

*Targets are under revision.

**सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने मकान विदेशी दूतावासों को किराये पर देने से संबंधित नियम**

8794, **श्री विजय कुमार यादव :**
**श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी दिल्ली में अपने मकान बिदेशी दूतावासों और विदेशी राजनयिकों को किराए पर दे सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नियमों में क्या प्रावधन है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या)** : (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1984 के नियम 18-क और अखिल भारतीय सेवाओं तथा रेलवे सेवाओं को शासित करने वाले आचरण नियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अनुसार कोई भी सरकारी सेवक, विहिय प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, अपने नाम में या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम में धारित किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में किसी पट्टे की मंजूरी के लिए किसी विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकार, विदेशी संगठन या समुत्थान के साथ कोई संव्यवहार नहीं करेगा । इस नियम के प्रयोजन के लिए "विहित प्राधिकारी" के समूह 'क" सरकारी सेवकों के मामले में प्रशासनिक मंत्रालय' विभाग समूह "ख" सरकारी सेवकों के मामले में विभागाध्यक्ष और समूह "ग" तथा समूह "घ" सरकारी सेवकों के मामले में कार्यालयाध्यक्ष अभिप्रेत है ।